<u>प्रस्तावित वन-भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की वचनबद्धता</u> का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या— एफ0एन0 5—3/2007 (एफ0 सी0, डिवीजन) दिनांक 05.02.2009 द्वारा 30 वर्षो के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार धनराशि को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा वन विभाग को ई—पोर्टल से उत्पन्न ई—चालान द्वारा माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दरों में बढ़ोत्तरी हाने पर भी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

Executive Engineer Electricity Secondary Works Division MVV.N.L. 3-Could be Forster House. Bareilly